न्यायालय, अवर न्यायाधीश बनमनखी (पूर्णियाँ)

T.S-26/2021

03.08.2022 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई है।

अभिलेख वादी के दिनांक–27.10.2021 के अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10(2) के अन्तर्गत दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

वादी का कथन है कि वादी के द्वारा इस वाद में दिनांक–22.03.2021 को सूचना प्राप्त हुई एवं प्रतिवादी इस वाद में विवादित भूमि को न्यायालय मे उपस्थित होने से पूर्व विक्रय कर दिया। इस वाद के लंबित रहने के कारण प्रतिवादी के द्वारा केवाला सं0–6368 दिनांक–05.07.2021 को पंकज कुमार यादव के पक्ष में विक्री कर दिया, जो वादी को वाद ग्रस्त भूमि से बेदखल करना चाहते है। पंकज कुमार यादव इस वाद ग्रस्त भूमि के क्रेता है। पंकज कुमार यादव इस वाद के आवश्यक पक्षकार है।

अतः वादी को इस वाद–पत्र में पंकज कुमार यादव को प्रतिवादी सं0–2 के रूप में आवश्यक पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान की जाय।

प्रतिवादी सं0–1 के द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल नही किया गया।

उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि पंकज कुमार यादव वाद ग्रस्त भूमि के क्रेता है। ऐसी स्थिति में इस वाद के न्याय निर्णयन के लिए पंकज कुमार यादव को पक्षकार बनाये जाना आवश्यक है।

अतः वादी के आवेदन दिनांक–27.10.2021 को स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि विहित समय सीमा के भीतर नियमानुसार प्रतिवादी सं0–2 के रूप में पक्षकार बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।

वाद दिनांक–26.08.2022 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

s/d

अवर न्यायाधीश